झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग।

पत्रांक - 4-1009(NREGA)/2009/ ग्रा0वि0 (खण्ड–III) N/873 (अनु) राँची, दिनांक 12-5-16

प्रेषक

मनरेगा आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में

सभी उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
झारखण्ड।

विषय: **मनरेगा में मेट के चयन, प्रशिक्षण, पंजीकरण, भूमिका व निगरानी पर दिशा-निदेश के प्रेषण के संबंध में।**

महाशय/महाशया,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि मजदूरों को मनरेगा में उनके काम के अधिकार की प्राप्ति व योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए मेट द्वारा उचित पर्यवेक्षण अतिआवश्यक है। आप सभी को विभागीय पत्रांक - (N) 672 दिनांक 6.4.2016 द्वारा निदेश दिया गया है कि यथा-शीघ्र सभी गाँव-टोलों में मजदूरों की काम की मांग के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक गाँव-टोले में पर्याप्त संख्या में मेटों का चयन व प्रशिक्षण हो।

मेट के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश:

मेट की योग्यता

- जिस गाँव-टोले के लिए मेट का चयन हो रहा है, मेट उस ही गाँव-टोले का निवासी होना चाहिए।
- पुरुष मेट कम से कम 9वीं कक्षा पास व महिला मेट कम से कम 7वीं कक्षा पास होनी चाहिए।

मेट चयन की प्रक्रिया

- चयनित मेटों में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं होनी है। महिला मेट के चयन में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन प्रखंडों में Cluster Facilitation Teams (CFTs) काम कर रही हैं, वहां केवल महिला मेटों का ही चयन किया जाएगा। अगर किसी गाँव-टोलें में उपरोक्त योग्यता अनुसार महिलाएं न हो, तो ही पुरुष मेट का चयन किया जाएगा।
- मेट चयन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- मेट का चयन उपरोक्त योग्यता अनुसार ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। मेट के चयन में ग्राम सभा स्वयं सहायत समूह व महिला ग्राम संगठन (village organisation) का सहयोग ले सकती है व ये संगठन ग्राम सभा के समक्ष अपने सदस्यों के चयन का प्रस्ताव रख सकते हैं।
- प्रत्येक गाँव/टोले में हर 40 परिवारों के लिए कम-से-कम एक मेट का चयन किया जाएगा (40 परिवारों से छोटे गाँव/टोले में एक मेट का चयन करना है)।
- चयनित मेट अधिकतम तीन वर्ष के लिए काम कर सकते हैं।

मेट का प्रशिक्षण

सभी चयनित मेटों का प्रशिक्षण संलग्न प्रारूप अनुसार यथाशीघ्र सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण का खर्च मनरेगा के प्रशासनिक मद से व्यय होगा। ऐसे प्रखंड जिनमें CFTs कार्यरत हैं, वहां

प्रशिक्षण में CFTs के सदस्यों की प्रशिक्षक के रूप में भागीदारी अनिवार्य है। अन्य प्रखंडों में प्रशिक्षण के लिए प्रखंड के अन्य सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं व योजना बनाओ अभियान की State Resource Team के योग्य सदस्यों का सहयोग लिया जा सकता है। वैसे प्रशिक्षकों को प्रति दिन 500 रु मानदेय देय होगा। सभी प्रखंडों में सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, रोज़गार सेवक व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी भी प्रशिक्षक के रूप में भाग लेंगे।

प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व मुख्य प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का होगा।

मेट किट

- जिन प्रशिक्षित मेटों को काम आवंटित किया गया है, उन्हें काम शुरू होने से पहले एक मेट किट मुहैया करना है।
- मेटों को मेट किट मुख्य प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा निःशुल्क दिया जाएगा।
- मेट किट एक मज़बूत बैग में दी जाएगी जिसमे एक छोटा calculator, मापी के लिए कम-से-कम 30 फ़ीट लम्बाई का फ़ीता (measuring tape), 'दैनिक मेट मापी प्रपत्र' की 50 प्रतियां, जॉब कार्ड आवेदन फॉर्म की 50 प्रतियां, काम का आवेदन फॉर्म का 50 प्रतियां, मनरेगा पर प्रवेशिका की एक प्रति, इस मेट गाईडलाईन की एक प्रति, पेन व नोटबुक होगी।
- मेट किट पर होने वाला खर्च प्रशासनिक मद से व्यय होगा।

मेट का पंजीकरण

- ग्राम सभा द्वारा सभी चयनित मेटों की सूची ग्राम रोज़गार सेवक द्वारा ग्राम पंचायत को दी जाएगी।
- मेट चयन के एक सप्ताह के अन्दर सभी चयनित मेटों का NREGASoft में अर्ध-कुशल मजदूर की श्रेणी में पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की है।
- NREGASoft में पंजीकरण के पश्चात हर पंजीकृत मेट को "Registration ID" निर्गत होगा।

मेट की ज़िम्मेवारियां

- योजना पर काम होने के पहले दिन उस पर काम कर रहे मजदूरों को योजना का तकनीकी प्राक्कलन समझाना। प्रत्येक कार्य-दिन के प्रारम्भ में मज़दूर गुट (कार्यस्थल पर उपस्थित मज़दूर अधिकतर समय अपने आप को 2-3 मज़दूरों के गुटों में बाँट कर काम करते हैं) के सदस्यों की संख्या के अनुसार गुट के दैनिक कार्य का लेआउट करना व मजदूरों को उनके काम के बारे में समझाना; जैसे, कितनी मिट्टी काटनी है, मिट्टी कहा फेकनी है आदि।
- अगर कार्यस्थल पर निम्न सुविधाएं न हो, तो योजना की कार्यकारी एजेंसी व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचित करना। (1) सूचना बोर्ड; (2) पीने के लिए साफ़ पानी की व्यवस्था; (3) छाया की व्यवस्था; (4) क्रेश की व्यवस्था (अगर छः वर्ष से कम उम्र के कम से कम पांच बच्चे हो); (5) मेडिकल किट व (6) योजना के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री।
- अगर कार्यस्थल पर काम होने के पहले दिन तक मस्टर रॉल न पहुंचे, तो तुरंत योजना की कार्यकारी एजेंसी को सूचित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि मस्टर रॉल में जिन मजदूरों के नाम हो, केवल वे ही योजना में काम करें। अगर मस्टर रॉल में किसी प्रकार के त्रुटि अथवा अनियमितता पाई जाती है, तो तुरंत योजना की कार्यकारी एजेंसी व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचित करना।
- अगर कार्यस्थल पर कोई इच्छुक मजदूर (जिसका नाम मस्टर रॉल में न हो) काम मांगे, तो तुरंत ग्राम पंचायत को सूचित करना व मजदूर को काम मांगने की प्रक्रिया समझाना।
- हर कार्य दिवस को मस्टर रॉल में मजदूरों की हाज़री बनाना (मस्टर रॉल हर समय कार्यस्थल पर उपस्थित रहना है और कोई भी व्यक्ति इसे देख सकता है)।
- कार्य सप्ताह के आख़िरी दिन किसी सार्वजनिक स्थल पर मजदूरों को उनके नाम से बनी हाज़री पढ़कर सुनाना और उनसे मस्टर रॉल पर हस्ताक्षर/ठेपा लेना। (मेट के सत्यापन के पश्चात् सम्बंधित वार्ड के वार्ड सदस्य द्वारा मस्टर रॉल का सत्यापन किया जाएगा। वार्ड

सदस्य के अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत मुखिया अथवा उनके द्वारा अधिकृत अन्य वार्ड सदस्य द्वारा किया जाएगा)।

- मेट प्रत्येक कार्य-दिन के अंत में मजदूरों के सामने उनके द्वारा किए गए कार्य की मापी करेंगे व डोभा, तालाब, पोखर, भूमि समतलीकरण, सड़क आदि योजनाओं के लिए संलग्न "दैनिक मेट मापी प्रपत्र" भरेंगे। (गुणवत्तापूर्ण व ससमय योजना कार्यान्वयन के लिए यह सुनिश्चित करना अतिआवश्यक है कि मस्टर रॉल पर बनी हाज़री व किए गए कार्य की मात्रा में अंतर न हो। "दैनिक मेट मापी प्रपत्र" के प्रतिदिन भरे जाने से ऐसा सुनिश्चित करने में बहुत मदद मिलती है।)
- मेट सुनिश्चित करेंगे कि मस्टर रॉल पर बनी हाज़री व किए गए कार्य की मात्रा में अंतर न हो।
- प्रत्येक कार्य-सप्ताह के अंत में भरे हुए मस्टर रॉल व "दैनिक मेट मापी प्रपत्र" को सत्यापित करना। रोज़गार सेवक मेट से प्रत्येक कार्य सप्ताह के अंत में मेट द्वारा सत्यापित मस्टर रॉल व "दैनिक मेट मापी प्रपत्र" लेंगे।
- मज़दूरों के जॉब कार्ड में उनके द्वारा किए गए काम व उनको मिली मज़दूरी का ब्यौरा लिखना।
- सभी प्रकार के निजी व सामुदायिक योजनाओं के पर्यवेक्षण में मेट के उपरोक्त जिम्मेवारियां होंगी।

मेट को योजना में कार्यरत करने की प्रक्रिया

- योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् कार्यकारी एजेंसी गाँव-टोले के प्रशिक्षित मेटों को सम्बंधित योजनाओं के पर्यवेक्षण के लिए कार्यादेश के माध्यम से सूचित करेगी। कार्यादेश के साथ इस पत्र की एक प्रति व योजना की तकनीकी प्राक्कलन भी मेट को उपलब्ध कराएगी।
- जिस अवधि में कोई व्यक्ति मेट के रूप में कार्यरत है, उस अवधि में वह मनरेगा में अकुशल मजदूरी नहीं कर सकता है।
- निजी योजनाओं का पर्यवेक्षण भी ग्राम सभा द्वारा चयनित मेटों द्वारा ही किया जाएगा, और न कि योजना के लाभार्थी द्वारा।

मेट के भुगतान की प्रक्रिया

- मेट का भुगतान अर्ध-कुशल मज़दूरी दर से किया जाएगा। यह भुगतान सामग्री मद से व्यय होगा।
- मेट का भुगतान योजना के तकनीकी प्राक्कलन में दिए गए मानक अनुसार किया जाएगा। जैसे, अगर किसी योजना के प्राक्कलन के अनुसार 20 अकुशल मज़दूर मानव-दिवस पर मेट के एक दिन की हाज़री बनती है, और प्रतिदिन उस योजना पर 10 मज़दूर काम करते हैं, तो हर दो दिनों पर मेट की एक दिन की हाज़री बनेगी। एक मेट एक साथ अधिकतम तीन छोटी योजनाओं (ऐसी योजना जिसमे एक साथ अधिकतम 20 मज़दूर काम कर सकते हैं व जिसकी प्राक्कलित राशि 1.5 लाख रुपए तक की हो) का पर्यवेक्षण कर सकते है। इससे बड़ी योजनाओं पर कार्यरत मेट एक समय पर एक ही योजना का पर्यवेक्षण कर सकेंगे।
- मेट के भुगतान हेतु NREGASoft से प्रत्येक कार्य-सप्ताह के लिए अर्ध-कुशल मस्टर रॉल निर्गत किया जाएगा। जो मेट छोटी योजनाओं पर काम करेंगे, उनके लिए एक साथ एक से अधिक योजना का मस्टर रॉल निर्गत किए जाने का प्रावधान होगा।
- मेट का भुगतान PFMS द्वारा प्रति कार्य-सप्ताह समाप्त होने के 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाएगा।

मेट का मूल्यांकन व निगरानी

- ग्राम पंचायत द्वारा सभी मेटों के कार्य का नियमित निरीक्षण व मूल्यांकन किया जाएगा। अगर कोई मेट मज़दूरों के हित के विपरीत काम करते पाया गया, तो ग्राम पंचायत उन्हें तुरंत हटा सकती है।
- अगर मेट मज़दरों के हित के विपरीत काम करते हैं तो मज़दूर व गाँव के समुदाय आधारित संगठनों (जैसे मजदूर संगठन, स्वयं सहायता समूह, महिला ग्राम संगठन आदि) मेट के विरुद्ध शिकायत ग्राम पंचायत या प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को दे सकते हैं। अगर कार्रवाई में मेट दोषी पाए गए, तो ग्राम पंचायत/प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी उन्हें तुरंत हटा सकते हैं।
- प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा द्वारा गाँव के समुदाय आधारित संगठनों (जैसे मजदूर संगठन, स्वयं सहायता समूह, महिला ग्राम संगठन आदि) के सहयोग से सभी मेटों के कार्य की समीक्षा की जाएगी व मजदूरों के हित में काम नहीं करने वाले मेटों को हटाकर नए मेटों का चयन किया जाएगा।
- मस्टर रॉल पर फर्जी हाज़री लगाते पाए जाने पर मेट के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- अगर मज़दूरों का जॉब कार्ड या पासबुक मेट के पास पाया जाता है, तो मेट के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अन्य महत्त्वपूर्ण बातें

- योजनाओं में सामग्री की व्यवस्था करना मेट की ज़िम्मेवारी नहीं है। कार्यकारी एजेंसी द्वारा योजना कार्यान्वयन के लिए सामग्री की ससमय व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- ऐसे पुरुष मेट जो तीन वर्ष से अधिक समय से मेट के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें तुरंत हटा कर नए मेटों का चयन किया जाएगा।

उपरोक्त दिशा-निदेश पूर्व में प्रेषित सभी मेट सम्बंधित दिशा-निदेशों को supersede करेगा। आपसे अनुरोध है कि इन निदेशों से मुख्य प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों/ प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को अवगत कराएं जो शीघ्र सभी मनरेगा कर्मियों व ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को इस पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराएं। मुख्य प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि तुरंत सभी गाँव-टोलों में मेटों का चयन किया जाए व चयनित मेटों को संलग्न module अनुसार प्रशिक्षित करने के पश्चात् NREGASoft में पंजीकृत किया जाए। विभाग द्वारा प्रति सप्ताह NREGASoft में मेटों के पंजीकरण की प्रगति का आकलन किया जाएगा।

अनुलग्नक - यथोक्त।

विश्वासभाजन,

मनरेगा आयुक्त।

ज्ञापांक - 4-1009(NREGA)/2009/ ग्रा0वि0 (खण्ड–III) (N)873 राँची, दिनांक 12-5-16

प्रतिलिपि - सभी उपायुक्त/प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

मनरेगा आयुक्त।

ज्ञापांक - 4-1009(NREGA)/2009/ ग्रा0वि0 (खण्ड–III) (N)873 राँची, दिनांक 12-5-16

प्रतिलिपि - संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

मनरेगा आयुक्त।

ज्ञापांक - 4-1009(NREGA)/2009/ ग्रा0वि0 (खण्ड–III) (M)873 राँची, दिनांक 12-5-16

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

मनरेगा आयुक्त।
12/5/16

मेट के तीन दिवसीय प्रशिक्षण का प्रारूप

प्रतिभागी: चयनित मेट (एक प्रशिक्षण बैच में 40 प्रतिभागी होंगे)

प्रशिक्षक: प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, ग्राम रोज़गार सेवक, कनीय अभियंता, Cluster Facilitation Team के सदस्य (अनिवार्य रूप से), "स्टेट रीसोर्स टीम" के योग्य सदस्य, अन्य योग्य गैर-सरकारी संस्थाओं/संगठनों के सदस्य (प्रशिक्षण शुरू होने से पहले प्रशिक्षक आपस में तय कर ले कि कौन प्रशिक्षक कौनसा सत्र लेगा)

प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री: तीन-दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के आयोजन के लिए प्रशिक्षण स्थल (venue) में निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित करें (इन सुविधाओं व सामग्रियों की व्यवस्था करना प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की ज़िम्मेदारी है): बड़ा whiteboard, whiteboard markers, whiteboard मिटाने के लिए duster, projector, laptop, "रोज़गार अधिकार यात्रा" फ़िल्म, प्रशिक्षण के दौरान दिखाई जाने वाली PowerPoint presentations, 6 measurement tapes, एक ऐसा डब्बा जिसकी लम्बाई, चौड़ाई व गहराई मापी जा सके, पीने का पानी, प्रतिभागियों के लिए दोपहर व रात के लिए भोजन, नाश्ते व चाय की व्यवस्था, प्रतिभागियों के लिए सोने के लिए गद्दे, चादर व कम्बल व field-work के लिए गाँव जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था

प्रशिक्षण किट की सामग्री: पेन, नोटबुक, मनरेगा पर प्रवेशिका, जॉब कार्ड आवेदन फॉर्म की एक प्रति, काम की मांग की एक प्रति, जॉब कार्ड में दिए गए Schedule of Rates की एक प्रति, 2016-17 के लिए राज्य द्वारा प्रेषित सभी हिन्दी में model estimates, मेट मार्गदर्शिका सम्बंधित विभागीय पत्रांक -(N) 873 (ग्रा॰) दिनांक 12.5.2016

समय	गतिविधि	विवरण	प्रशिक्षकों के लिए सुझाव	गतिविधि में प्रयोग होने वाला प्रशिक्षण "tool"
पहला दिन				
10:15 - 10:30	प्रशिक्षण के प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन व परिचय			रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रशिक्षण किट
10:30 - 11:00	प्रशिक्षण के उद्देश्य व प्रतिभागियों की प्रशिक्षण से अपेक्षा पर चर्चा	प्रतिभागियों के साथ चर्चा	प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के उद्देश्य के बारे में बताएं व उनसे उनकी प्रशिक्षण से अपेक्षाएं व "क्या सीखना चाहते हैं" पूछें (उनको सोचने के लिए 5 मिनट का समय दें). फिर प्रशिक्षक उनकी अपेक्षाओं को whiteboard पर लिखें, एवं प्रशिक्षण के उद्देश्य के साथ मिलान करें.	प्रतिभागियों के साथ चर्चा
11:00 - 11:30	प्रतिभागियों का योजना बनाओ अभियान व मनरेगा के अनुभव पर चर्चा	प्रतिभागियों के साथ चर्चा	प्रतिभागियों से उनके योजना बनाओ अभियान में हुए नियोजन के अनुभव व उनके गाँव में मनरेगा के कार्यान्वयन के बारे में पूछे. कोशिश करें कि सभी प्रतिभागी अपने अनुभव को बताएं.	प्रतिभागियों के साथ चर्चा
11:30 - 11:40	चाय			
11:40 - 12:25	मनरेगा कानून का इतिहास, मनरेगा में मजदूरों के	फ़िल्म प्रस्तुति – रोज़गार अधिकार यात्रा	मनरेगा कानून को पारित करवाने के संघर्ष पर विस्तृत चर्चा करें. चर्चा के लिए विषय - मनरेगा कानून क्यों बना व किसके लिए बना? काम के अधिकार की	फ़िल्म योजना बनाओ अभियान resource DVD में

	अधिकारों, मनरेगा में ग्राम पंचायत की भूमिका व मनरेगा की विभिन्न प्रक्रियाओं पर विस्तृत सत्र		आवश्यकता क्यों है? मनरेगा की समाज में समानता एवं न्याय लाने में क्या भूमिका है? उदाहरण के साथ समझाए - जैसे संविधान में हर वयस्क को वोट देने का अधिकार है, उसी प्रकार काम का अधिकार भी है.	उपलब्ध है
12:25 - 13:25		मनरेगा अंतर्गत मजदूरों के अधिकारों व मनरेगा की विभिन्न प्रक्रियाओं पर सत्र	प्रतिभागियों के साथ गाँव में मनरेगा की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करें एवं मजदूरों के मनरेगा में विभिन्न अधिकारों पर चर्चा करें.	"मनरेगा में मजदूरों के अधिकार" पर PowerPoint presentation एवं प्रतिभागियों संग चर्चा
13:25 - 13:55		मनरेगा में ग्राम पंचायत की भूमिका	ग्राम पंचायत की मनरेगा योजनाओं के नियोजन, स्वीकृति, कार्यान्वयन व निगरानी में भूमिका पर चर्चा करें. झारखंड सरकार का इस विषय पर पत्र को पढ़ें व उसपर चर्चा करें.	PowerPoint presentation, सरकार का पत्र एवं प्रतिभागियों संग चर्चा
13:55 - 14:45	भोजन			
14:45 - 15:15	जॉब कार्ड व काम की माँग की प्रक्रिया	जॉब कार्ड आवेदन पर चर्चा व उसके फॉर्म को भरने का अभ्यास	कौन जॉब कार्ड का आवेदन कर सकता है? जॉब कार्ड का आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है व इस प्रक्रिया में क्या -क्या कठिनाइयां आती हैं? चर्चा के पश्चात् सभी प्रतिभागी जॉब कार्ड आवेदन फॉर्म भरने का अभ्यास करेंगे.	सभी प्रतिभागियों के लिए जॉब कार्ड आवेदन फॉर्म की प्रति.
15:15 - 15:45		काम के आवेदन पर चर्चा वउसके फॉर्म को भरने का अभ्यास	काम की मांग करने की प्रक्रिया एवं उसमे आने वाली कठिनाइयों चर्चा. चर्चा के पश्चात् सभी प्रतिभागी काम की मांग का आवेदन फॉर्म भरने का अभ्यास करेंगे.	सभी प्रतिभागियों के लिए काम की मांग के आवेदन फॉर्म की प्रति.
15:45 - 16:45	मनरेगा में काम की मांग से लेकर मज़दूरी भुगतान तक की प्रक्रियओं	काम की मांग से लेकर मज़दूरी भुगतान तक की प्रक्रियाओं पर विस्तृत चर्चा	मजदूरों द्वारा काम के मांग होने के बाद योजनाओं में काम आवंटन, मस्टर रोल का सृजन व entry, वेतान्सूची, फण्ड ट्रान्सफर ऑर्डर (FTO) आदि पर विस्तृत चर्चा करें.	PowerPoint presentation एवं प्रतिभागियों संग चर्चा
16:45 - 17:00	चाय			
17:00 - 17:45	मेट की भूमिका		प्रतिभागियों के साथ विभागीय पत्रांक xx विस्तार में पढ़े व उसपर चर्चा करें.	PowerPoint presentation एवं प्रतिभागियों संग चर्चा
दूसरा दिन				
09:00 - 09:30	प्रशिक्षण के पहले दिन बताई गई बातों पर चर्चा	प्रतिभागियों संग चर्चा	प्रशिक्षक प्रतिभागियों के साथ पहले दिन के सत्रों में बताई गई बातों पर चर्चा करें. (प्रतिभागियों को 5 मिनट सोचने का समय दें कि उन्होंने पिछले दिन क्या सीखा व उनके मन में कोई सवाल हैं क्या).	

09:30 - 10:30	मस्टर रोल व जॉब कार्ड से परिचत होना व इन्हें भरने का अभ्यास करना	मस्टर रोल व जॉब कार्ड से परिचत होना व इन्हें भरने का अभ्यास करना	सभी प्रतिभागी मस्टर रोल व जॉब कार्ड में "उपलब्ध कराए गए रोज़गार एवं मस्टर रोल की विवरणी" व "उपलब्ध कराए गए भुगतान की विवरणी" भरने का अभ्यास करेंगे.	सभी प्रतिभागियो के लिए एक खाली मस्टर रोल व जॉब कार्ड के प्रासंगिक पन्नों की प्रतियां
10:30 - 10:45	चाय			
10:45 - 11:30	कार्य मापी के तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा	मापी की इकाई व संरचना के आयाम की विभिन्न इकाइयों (लम्बाई, चौड़ाई व गहराई) पर चर्चा	प्रतिभागियों को 7-8 लोगों के समूहों में बांटे व प्रशिक्षण हॉल की इकाइयों (लम्बाई, चौड़ाई व गहराई) की मापी करना सिखाएं.	
11:30 - 12:15		संरचना का क्षेत्रफल व आयतन निकालने पर चर्चा	प्रतिभागियों को प्रशिक्षण हॉल के क्षेत्रफल (floor area) की गणना करना सिखाएं. आयतन (volume) पर चर्चा के लिए एक के बड़े डब्बे का प्रयोग कर सकते हैं.	एक ऐसा डब्बा जिसकी लम्बाई, चौड़ाई व गहराई मापी जा सके
12:15 - 13:00	मजदूरों को प्रति दिन एक हाजरी के लिए कितना कार्य करने की आवश्यकता है		–प्रतिभागियों को समझाए कि मजदूरों को प्रति दिन एक हाज़री के लिए कितना कार्य करने की आवश्यकता है (लीड व लिफ्ट अनुसार)	सभी प्रतिभागियों के लिए जॉब कार्ड में दिए गए Schedule of Rates की एक प्रति
13:00 - 14:00	भोजन			
14:00 - 16:00	मनरेगा योजनाओं के तकनीकी बिन्दुओं पर चर्चा	जल संचायन व संरक्षण की योजनाओं (डोभा, पोखर, तालाब, मेढ़बंदी, ज़मीन समतलीकरण आदि) के कार्यान्वयन सम्बंधित तकनीकी बिन्दुओं पर चर्चा	डोभा, पोखर व तालाब की खुदाई में ध्यान देने वाली बातों पर गहन चर्चा करें (जैसे स्थल चयन, seepage line पर डोभा/पोखर/तालाब बनाने की आवश्यकता, योजना का लेआऊट करना, योजना की सीढ़ी-नुमा खुदाई, तालाब व berm (मेढ़) के बीच की दूरी आदि)	PowerPoint presentation एवं प्रतिभागियों संग चर्चा
		पशुपालन सम्बंधित योजनाओं (बकरी घर, मुर्गी घर, गाय शेड के लिए पक्का फर्श आदि) के कार्यान्वयन सम्बंधित तकनीकी बिन्दुओं पर चर्चा	इन बिन्दुएँ पर विशेष चर्चा करें - पशु घर बनाने में किस प्रकार की सामाग्री का प्रयोग होता है, कितने मात्रा में सामग्री का प्रयोग होता है, rat-trap bond तकनीक से ईंटो की जुड़ाई आदि)	PowerPoint presentation ण एवं प्रतिभागियों संग चर्चा

16:00 - 16:15	चाय			
16:15 - 17:15	योजनाओं के तकनीकी प्राक्कलन पर चर्चा		जल संचायत व संरक्षण योजनाएं (डोभा, पोखर, तालाब, मेढ़बंदी, ज़मीन समतलीकरण आदि) व पशुपालन सम्बंधित योजनाएं (बकरी घर, मुर्गी घर, गाय शेड के लिए पक्का फर्श आदि) के तकनीकी प्राक्कलनों पर चर्चा करें. प्रत्येक प्राक्कलन में मनरेगा कानून अनुसार कार्य-स्थल पर मिलने वाली सुविधाओं के उल्लेख के विषय में चर्चा करें	2016-17 के लिए राज्य द्वारा प्रेषित सभी हिन्दी में model estimates
तीसरा दिन (सब प्रतिभागी सुबह 8 बजे तक तय किए गए कार्यस्थल पहुंचे. कोशिश करे कि प्रतिभागियों को डोभा या तालाब के कार्यस्थल पर ले जाए)				
08:00 - 10:00	कार्यस्थल पर होने वाली गतिविधियों व मेट की भूमिका पर चर्चा व प्रदर्शन		प्रतिभागियों को 7-8 लोगों के समूह में बांटे व निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा करें - मस्टर रोल में हाजरी चढ़ाना, मजदूरों के जॉब कार्ड पर उनके कार्य का विवरण चढ़ाना, कार्य की मापी करना, कार्यस्थल सुविधाएं सुनिश्चित करना आदि.	
10:00 - 12:00	योजनाओं का ले-आउट करने का अभ्यास करना		प्रतिभागियों को 7-8 लोगों के समूह में बांटे व निम्नलिखित योजनाओं के ले-आउट का अभ्यास करवाएं - डोभा, पोखर, तालाब, ज़मीन समतलीकरण, बकरी घर, मुर्गी घर, गाय शेड के लिए पक्का फर्श आदि	
12:00 - 13:00	fieldwork के अनुभव पर चर्चा		fieldwork के अनुभव व सीख पर चर्चा करें. यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रतिभागी मजदूरों के अधिकारों व कार्यस्थल पर सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए मेट द्वारा पर्यवेक्षण की भूमिका को अच्छे से समझें.	
	तीन-दिवसीय मेट प्रशिक्षण के अनुभव पर चर्चा		प्रशिक्षण के अनुभव व सीख पर चर्चा करें. (प्रतिभागियों को सोचने के लिए 5 मिनट का समय दें). उनसे यह भी पूछें कि वे कैसे सुनिश्चित करेंगे कि मजदूरों को उनके अधिकार मिलें.	
13:00 - 14:00	भोजन			

दैनिक मेट मापी प्रपत्र

[कार्यस्थल पर उपस्थित मज़दूर अधिकतर समय अपने आप को 2-3 मज़दूरों के गुटों में बाँट कर काम करते हैं. ऐसे हर मज़दूर गुट के लिए एक अलग प्रपत्र का प्रयोग करें. इस प्रपत्र का प्रयोग केवल डोभा, पोखर, तालाब, भूमि समतलीकरण, सड़क, कच्चा नाला, ट्रेंच व वृक्षारोपण के लिए पिट डिगिंग के कार्यों के लिए ही हो सकता है.]

योजना का नाम: /_____/

मस्टर रोल की अवधि: /_____/ से /_____/ गुट संख्या: /_____/

दिनांक	गुट के कितने सदस्य उपस्थित हैं	गुट ने कुल कितना कार्य किया				एक चौके का आयाम ("लीड" व "लिफ्ट" के अनुसार चौके का आयाम बदलेगा)				गुट द्वारा कोढ़े गए कुल चौकों की संख्या (झ/घ)
		लम्बाई (ft) "क"	चौड़ाई (ft) "ख"	गहराई (ft) "ग"	कुल मात्रा (cft) "घ" (क X ख X ग)	लम्बाई (ft) "च"	चौड़ाई (ft) "छ"	गहराई (ft) "ज"	कुल मात्रा (cft) "झ" (च X छ X ज)	
गुट द्वारा सप्ताह में कुल किया गया काम:						गुट द्वारा सप्ताह में कोढ़े गए कुल चौके:				

मेट का हस्ताक्षर

वार्ड सदस्य की हस्ताक्षर